मै0 मिंदर सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह द्वारा सौंग नदी–IV पर खसरा नं.–226, 228, ग्राम घिस्सरपड़ी तहसील–डोईवाला, जिला देहरादून (क्षेत्रफल–1.20 है0) में लघु खनिजों के संग्रहण हेतु दिनांक 09.09.2025 (प्रातः 11.00 बजे), स्थान परियोजना स्थल के समीप ग्राम घिस्सरपड़ी में पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 मिंदर सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह द्वारा सौंग नदी–IV पर खसरा नं.–226, 228, (क्षेत्रफल–1.20 हे0) में लघु खनिजों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 (यथासंशोधित 2009) के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 (यथासंशोधित 2009) के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में **ग्राम घिस्सरपड़ी, तहसील डोईवाला, जिला देहरादून** में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री एस0एस0 चौहान (सहायक वैज्ञानिक अधिकारी) व श्री दीपेन्द्र भट्ट (अनुश्रवण सहायक) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11.00 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के प्रतिनिधि श्री एस0एस0 चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को **मै0 मिंदर सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह द्वारा सौंग नदी–IV पर खसरा नं.–226, 228, (क्षेत्रफल–1.20 हे0)** में लघु खनिजों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व **दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण (उत्तराखंड संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) के दिनांक 15.08.2025** के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आक्षेप मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोंई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से लिखित व मौखिक रूप से रख सकते हैं, जिसे संकलित कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि जन समुदाय के विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्षा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इसके उपरान्त में मै0 मिन्दर सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह के पर्यावरणीय परामर्शी संस्था **मै0 कॉग्निजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिनिधि श्री पार्थ** द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 1.20 हे0 है, जो कि **ग्राम घिस्सरपड़ी, तहसील–डोईवाला, जिला देहरादून** में स्थित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा मै0 मिन्दर सिंह पुत्र श्री चरणजीत

सिंह को लीज पर दिया गया। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु खनिजों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु खनिजों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि तीन मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना में खनन कार्य पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके किया जायेगा। श्री पार्थ द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जायेगा एवं प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री अमित सैनी, ग्राम–घिस्सरपड़ी, डोईवाला, देहरादून** द्वारा कहा गया कि खनन मानकों के अनुरूप ही किया जाये। खनन परिवहन हेतु प्रयुक्त मार्गों की मरम्मत की जाये तथा स्थानीय लोगों को खनन कार्य में रोजगार दिया जाये।
2. **श्री जसविन्दर सिंह रागी, ग्राम–धर्मुचक, डोईवाला, देहरादून** द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन सामग्री के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों हेतु गॉव के रास्तों का प्रयोग न किया जाये एवं प्रस्ताव के अनुरूप पट्टाधारक द्वारा खनन नहीं किया जाता है? श्री सिंह द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य मैनुवल ही किया जायें व मशीनों का प्रयोग न किया जाये तथा स्थानीय लोगों को खनन कार्य में रोजगार दिया जाये। खनन कार्य पर निगरानी हेतु स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक समिति बनायी जाये। खनन क्षेत्र तक जाने वाला मार्ग कच्चा है, सर्वप्रथम खनन शुरू होने से पूर्व मार्ग की मरम्मत की जाये। खनन कार्य आवंटित क्षेत्र में ही किया जाये तथा निर्धारित गहराई तक ही खनन किया जाये। वृक्षारोपण ग्राम वासियों की सलाह पर किया जाये, क्षेत्र में मजदूरी करने वाले लोगों को खनन कार्य में प्राथमिकता से रोजगार दिया जाये। श्री सिंह द्वारा कहा गया कि यदि खनन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है तो वह खनन परियोजना का समर्थन करते हैं।
3. **श्रीमती सुषमा पाल, ग्राम–घिस्सरपड़ी, डोईवाला, देहरादून** द्वारा कहा गया कि खनन सामग्री के परिवहन में प्रयुक्त ट्रेक्टर व भारी वाहनों द्वारा मार्गो को क्षति पहुँची हैं, खनन से पूर्व मार्गों की मरम्मत की जाये एवं खनन सामग्री के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाये।
4. **श्री रोहित डिमरी पूर्व नगर पालिका सभासद, ग्राम–घिस्सरपड़ी, डोईवाला, देहरादून,** द्वारा कहा गया कि कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सी.ई.आर.) में माजरी क्षेत्र के विद्यालय हेतु मद आवंटित किया गया है। परियोजना घिस्सरपड़ी क्षेत्र की है इसलिए कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सी.ई.आर.) में आवंटित मद का प्रयोग प्राथमिक विद्यालय, घिस्सरपड़ी हेतु किया जाये। खनन सामग्री के क्रय में स्थानीय लोगों को छूट दी जाये। श्री डिमरी द्वारा परियोजना का समर्थन किया गया।

5. **श्री सुन्दर लाल, ग्राम–घिस्सरपड़ी, डोईवाला, देहरादून** द्वारा कहा गया कि पूर्व में हुए खनन से स्थानीय मंदिर को क्षति पहुँची है तथा आस–पास के क्षेत्र में भू–कटाव हुआ है। श्री सुन्दर लाल द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य से पूर्व सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाये।

6. **श्री जसवीर सिंह, ग्राम–घिस्सरपड़ी, डोईवाला, देहरादून** द्वारा कहा गया कि खनन कार्य मानकों के अनुरूप किया जाये।

7. **श्री गौरव पाल, ग्राम–घिस्सरपड़ी, डोईवाला, देहरादून** द्वारा कहा गया कि खनन कार्य आवंटित पट्टे में ही किया जाये तथा मानकों के अनुरूप किया जाये, मानकों के अनुरूप न होने पर ग्रामीणों द्वारा परियोजना का विरोध किया जायेगा। खनन सामग्री के परिवहन हेतु प्रयुक्त मार्गों की मरम्मत की जाये। कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सी.ई.आर.) में आवंटित धनराशि का प्रयोग घिस्सरपड़ी प्राथमिक विद्यालय, हेतु किया जाये। खनन सामग्री के परिवहन हेतु स्थानीय ट्रेक्टर स्वामियों को प्राथमिकता दी जाये, वृक्षारोपण के उपरान्त उनकी सुरक्षा हेतु व्यवस्था की जाये। श्री पाल द्वारा परियोजना का समर्थन किया गया।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में मै0 मिन्दर सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह के प्रतिनिधि श्री पार्थ द्वारा कहा गया कि नदी के किनारों से 10 मीटर छोड़कर नदी के बीच में खनन कार्य किया जायेगा। खनन में निजी भूमि को नहीं लिया गया है। खनन कार्य राजस्व भूमि पर ही किया जायेगा। नदी में 1.20 है. क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा। उक्त परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। पूर्व में खनन हेतु प्रयुक्त मार्गों पर भी विचार किया जायेगा। भूमि को कटाव से बचाने हेतु पॉच साल में कुल 1,200 पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। मै0 मिन्दर सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह के प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत स्थानीय प्राथमिक विद्यालय हेतु मद दिया जायेगा। खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की संहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदया की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही के समापन की घोषणा की गयी। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटोग्राफ
2. पैन ड्राइव
3. उपस्थिति पंजिका

(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

(स्मृता परमार)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
देहरादून

Date ....

आज दिनांक 9/9/2025 को मैं० श्री मिन्दरसिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह द्वारा सौंग नदी पर खसरा नं० 226, 228 ग्राम खिदरपड़ी (सौंग-4) कुल रकबा 1.20है० तहसील डोईवाला देहरादून में रेत बजरी एवं बोल्डर आदि की खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति की उपस्थिति का विवरण :-

क्रम सं०	नाम	पद नाम/ग्राम का नाम	मो० नं०	हस्ताक्षर
1.		विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी देहरादून		(हस्ताक्षर)
2.	कुन्दनसिंह चौहान	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी यू० के० पी० सी० बी० देहरादून	9719034547	(हस्ताक्षर)
3-				
4-				
5.	मनोज कुमार	मिल्ल बाजार डोईवाला	9897133631	(हस्ताक्षर)
6-	अमित सैनी	खिदरपड़ी डोईवाला	8171185355	
7-	सोनू गोयल	डोईवाला	7895110036	(हस्ताक्षर)
8-	सौरभपाल	खिदरपडी डोईवाला	8534804489	(हस्ताक्षर)
9-	जसवीर सिंह	धर्मूचक	6397202054	(हस्ताक्षर)
10-	रामकुमार	"	9528147610	
11-	Rohit ...	पूर्व Nagar Palika Sabhsad		

Date ....

निवासी का	डोईवाला	निवासी
अक्सरी		अक्सल
रुद्ध राहुल	धिरोंपुरी	रुद्ध
नवाब खाना	दोली वाला	नवा
राजपाल		
कमला	डोईवाला	कमला
Aakash	डोईवाला	Aakash
लक्की	डोईवाला	लक्की
हिमांशु	डोईवाला	हिमांशु
शकील		
	"	
Nitu Singh	बिजनौर	
अमित कुमार	खट्टा	Amit
सुषमा	खट्टा	
सुषमा	खट्टा	
आशु	खट्टा	
बबला	"	
श्याम	"	
हरीश	"	
	बुल्लावाला	Sanga
मनीष	खट्टा	
सतीश पाल	नर्मदा	सतीश
पवन	मांगरी	Pawan
सतीश	डोईवाला	Shitas
नरेन्द्र	खट्टा	नरेन्द्र
Parkai	खट्टा	Parkai
धर्मपाल		
सोहन सिंह	खट्टा	मोहित
		शोहित पाल
Naveen Ashiliani	Majri	Naveensi
Ayush Pal	खट्टा	Ayush Pal